विलोपित

(71)

निग०-4690/2018/झाबुआ/भू०रा०18

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर केम्प इंदौर के समक्ष

दशरथ पिता हरंचद पाटीदार निवासी–ग्राम अनंतखेडी, तहसील पेटलावद जिला झाबुआ म.प्र. ....**आवेदक**

विरूद्ध

1. प्रवीण पिता शोभाराम पाटीदार, निवासी–ग्राम पिठडी (बोलासा), तहसील पेटलावद जिला झाबुआ
2. सुन्दरबाई बेवा हरचंद पाटीदार निवासी–ग्राम पिठडी (बोलासा), तहसील पेटलावद जिला झाबुआ .....**अनावेदकगण**

निगरानी अन्तर्गत धारा 50.प्र.भू.राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

सदर की निगरानी आवेदक द्वारा म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959(जिसे आगे संक्षेप मे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील पेटलावद के प्रकरण कमांक 0006–अ–06–2017–18 मे दिनांकित 01.06.2018 को पारित प्रोसेडिंग आदेश के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान के समक्ष निगरानी इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है कि:–

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4690/2018/झाबुआ/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-8-2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेशिका दिनांक 1-8-18 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा मूल आवेदन पत्र के जवाब एवं आपत्ति के जवाब हेतु प्रकरण नियत किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	